इसे वेबसाईट **www.govtpressmp.nic.in** से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 89] भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 4 मार्च 2011—फाल्गुन 13, शक 1932

विधान सभा सचिवालय, मध्यप्रदेश

भोपाल, दिनांक 4 मार्च 2011

क्र. 6190-वि. स.-विधान-2011.—मध्यप्रदेश विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियम-64 के उपबंधों के पालन में मध्यप्रदेश कृषि उपज मण्डी (संशोधन) विधेयक, 2011 (क्रमांक 4 सन् 2011) जो विधान सभा में दिनांक 4 मार्च, 2011 को पुर:स्थापित हुआ है. जनसाधारण की सूचना के लिए प्रकाशित किया जाता है.

डॉ. ए. के. पयासी
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.

मध्यप्रदेश विधेयक

क्रमांक ४ सन् २०११

मध्यप्रदेश कृषि-उपज मण्डी (संशोधन) विधेयक, २०११

मध्यप्रदेश कृषि-उपज मण्डी अधिनियम, १९७२ को और संशोधित करने हेतु विधेयक.

भारत गणराज्य के बासठवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान-मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम. १. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश कृषि-उपज मण्डी (संशोधन) अधिनियम, २०११ है.

धारा १३ का संशोधन. २. मध्यप्रदेश कृषि-उपज मण्डी अधिनियम, १९७२ (क्रमांक २४ सन् १९७३) की धारा १३ की उपधारा (२) में विद्यमान परन्तुक के स्थान पर, निम्नलिखित परन्तुक स्थापित किया जाए, अर्थात् :—

"परन्तु यदि मण्डी समिति की अवधि का अवसान हो जाने पर नई मण्डी समिति का गठन नहीं किया जाता है तो राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, मण्डी समिति की अवधि में, ऐसा अवसान होने की तारीख से, ऐसी वृद्धि के कारणों को लेखबद्ध करते हुए, छह मास की कालावधि के लिये दो बार अर्थात् अधिकतम एक वर्ष की कालावधि के लिये वृद्धि कर सकेगी और यदि इस बढ़ाई गई अवधि के भीतर नई मण्डी समिति का गठन नहीं किया जाता है तो यह समझा जाएगा कि वह विघटित हो गई है और ऐसी दशा में धारा ५७ के उपबंध लागू होंगे.".

निरसन तथा व्यावृत्ति. ३. (१) मध्यप्रदेश कृषि-उपज मण्डी (संशोधन) अध्यादेश, २०११ (क्रमांक १ सन् २०११) एतद्द्वारा निरसित किया जाता है.

(२) उक्त अध्यादेश के निरसन के होते हुए भी, उक्त अध्यादेश के अधीन की गई कोई बात या की गई कोई कार्रवाई, इस अधिनियम के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन की गई कोई बात या की गई कोई कार्रवाई समझी जाएगी.

उद्देश्यों और कारणों का कथन

मण्डी समितियों की मतदाता सूची में नये सदस्यों के नाम जोड़े जाना है जो कि समय लगने वाला कार्य है इसलिये पुनरीक्षित मतदाता सूचियों के तैयार न होने के कारण मण्डी समितियों के निर्वाचन नहीं हुए थे. इस व्यावहारिक कठिनाई को देखते हुए यह आवश्यक हो गया है कि मध्यप्रदेश कृषि-उपज मण्डी अधिनियम, १९७२ (क्रमांक २४ सन् १९७३) में यथोचित् संशोधन करके राज्य में मण्डी समितियों की अवधि और छह मास बढ़ाई जाए.

२. चूंकि मामला अत्यावश्यक था और राज्य विधान सभा का सत्र चालू नहीं था, अतएव मध्यप्रदेश कृषि-उपज मण्डी (संशोधन) अध्यादेश, २०११ (क्रमांक १ सन् २०११) इस प्रयोजन के लिये प्रख्यापित किया गया था. अब यह प्रस्तावित है कि उक्त अध्यादेश के स्थान पर राज्य विधान मण्डल का अधिनियम बिना किसी उपांतरण के लाया जाए.

३. अतः यह विधेयक प्रस्तुत है.

भोपाल :
तारीख : २४ फरवरी, २०११.

डॉ. रामकृष्ण कुसमरिया
भारसाधक सदस्य.

अध्यादेश के संबंध में विवरण

मण्डी समितियों की मतदाता सूची में नये सदस्यों के नाम जोड़े जाना है जो कि समय लगने वाला कार्य है इसलिये पुनरीक्षित मतदाता सूचियों के तैयार न होने के कारण मण्डी समितियों के निर्वाचन नहीं हुए थे. इस व्यावहारिक कठिनाई को देखते हुए यह आवश्यक हो गया है कि मध्यप्रदेश कृषि-उपज मण्डी अधिनियम, १९७२ (क्रमांक २४ सन् १९७३) में यथोचित् संशोधन करके राज्य में मण्डी समितियों की अवधि और छह मास बढ़ाई जाए. चूंकि मामला अत्यावश्यक था और राज्य विधान सभा का सत्र चालू नहीं था, अतएव मध्यप्रदेश कृषि-उपज मण्डी (संशोधन) अध्यादेश, २०११ (क्रमांक १ सन् २०११) इस प्रयोजन के लिये प्रख्यापित किया गया था.

डॉ. ए. के. पयासी
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2011.